प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक 954 /नि0शा0/ दिनांक– 07 जून , 2019.

विषयः वर्ष 2019–20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना की आय–व्यय के प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 4395250/– (रू0 तैंतालिस लाख पचानब्बे हजार दो सौ पचास) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 09/2019/597/सत्रह–म–2019, 6–9(127)/17 दिनांक 17 मई 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 4395250/– (रू0 तैंतालिस लाख पचानब्बे हजार दो सौ पचास) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय पत्रांक 116/नि0शा0/2019–20 दिनांक 08 मई, 2019 के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1– उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तो के अन्तर्गत किया जायेगा।

2– उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

3– धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

8– जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

9– स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना स स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।

10— प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/— (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/— (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 के अनुदान सं0—17 के अधीन लेखा शीर्षक—2405—मछली पाल 101—अन्तर्देशीय मछली पालन— 04—मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408— विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण —02—मजदूरी, 09—विद्युत देय, 39—औषधि तथा रसायन, 42—अन्य व्यय, 43— सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

14— उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या— (83) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2— संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3— अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5— उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6— गार्ड फाइल।
7— वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक /नि0शा0/ दिनांक- 07 जून , 2019.

विषयः वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना की आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 4395250/- (रू0 तैंतालिस लाख पचानब्बे हजार दो सौ पचास) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 09/2019/597/सत्रह-म-2019, 6-9(127)/17 दिनांक 17 मई 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 4395250/- (रू0 तैंतालिस लाख पचानब्बे हजार दो सौ पचास) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय पत्रांक 116/नि0शा0/2019-20 दिनांक 08 मई, 2019 के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शतों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तो के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक-ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

3- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

8- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

9- स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना स स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।

10— प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/— (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/— (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 के अनुदान सं0—17 के अधीन लेखा शीर्षक—2405—मछली पाल 101—अन्तर्देशीय मछली पालन— 04—मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408— विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण —02—मजदूरी, 09—विद्युत देय, 39—औषधि तथा रसायन, 42—अन्य व्यय, 43— सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

14— उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या— (83) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 954 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2— संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3— अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5— उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6— गार्ड फाइल।
7— वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-05/06/2019

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-Dept fish researware allotment 5-6-2019
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 - मत्स्य विकास कार्यक्रम
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	1500	10260	1500	3000	22740	39000
		प्रगामी	1500	10260	1500	3000	22740	39000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान	2000	13680	2000	4000	30320	52000
		प्रगामी	2000	13680	2000	4000	30320	52000
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	2000	0	2000	17680	30320	52000
		प्रगामी	2000	0	2000	17680	30320	52000
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	625	0	625	5525	9475	16250
		प्रगामी	625	0	625	5525	9475	16250
5	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	1500	0	1500	13260	22740	39000
		प्रगामी	1500	0	1500	13260	22740	39000
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	1250	0	1250	11050	18950	32500
		प्रगामी	1250	0	1250	11050	18950	32500
7	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	8150	17500	5100	47104	112646	190500
		प्रगामी	8150	17500	5100	47104	112646	190500
8	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	1250	8550	1250	2500	18950	32500
		प्रगामी	1250	8550	1250	2500	18950	32500
9	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	1250	0	1250	11050	18950	32500
		प्रगामी	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	3750	14000	3750	19150	56850	97500
		प्रगामी	3750	14000	3750	19150	56850	97500
11	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	11250	25000	11250	74450	170550	292500
		प्रगामी	11250	25000	11250	74450	170550	292500
12	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान	8750	25000	8750	52350	132650	227500
		प्रगामी	8750	25000	8750	52350	132650	227500
13	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	8400	0	5350	66814	116436	197000
		प्रगामी	8400	0	5350	66814	116436	197000
14	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	2000	13680	2000	4000	30320	52000
		प्रगामी	2000	13680	2000	4000	30320	52000
15	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	1250	0	1250	11050	18950	32500
		प्रगामी	1250	0	1250	11050	18950	32500
16	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान	8750	59850	8750	17500	132650	227500
		प्रगामी	8750	59850	8750	17500	132650	227500
17	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	10000	32000	10000	56400	151600	260000
		प्रगामी	10000	32000	10000	56400	151600	260000
18	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान	2500	0	2500	22100	37900	65000
		प्रगामी	2500	0	2500	22100	37900	65000
19	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	1500	0	1500	13260	22740	39000
		प्रगामी	1500	0	1500	13260	22740	39000
20	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान	4250	12000	4250	25570	64430	110500
		प्रगामी	4250	12000	4250	25570	64430	110500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
21	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000 2000	13680 13680	2000 2000	4000 4000	30320 30320	52000 52000
22	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	6750 6750	46170 46170	6750 6750	13500 13500	102330 102330	175500 175500
23	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2500 2500	0 0	2500 2500	22100 22100	37900 37900	65000 65000
24	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	6250 6250	15000 15000	6250 6250	40250 40250	94750 94750	162500 162500
25	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4250 4250	0 0	4250 4250	37570 37570	64430 64430	110500 110500
26	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6200 6200	38070 38070	4675 4675	13017 13017	88538 88538	150500 150500
27	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5500 5500	24000 24000	5500 5500	24620 24620	83380 83380	143000 143000
28	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	13900 13900	23000 23000	10850 10850	92434 92434	199816 199816	340000 340000
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	8200 8200	0 0	6675 6675	68767 68767	118858 118858	202500 202500
30	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	0 0	7500 7500	66300 66300	113700 113700	195000 195000
31	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6250 6250	0 0	6250 6250	55250 55250	94750 94750	162500 162500
32	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	750 750	5130 5130	750 750	1500 1500	11370 11370	19500 19500
33	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500 4500	0 0	4500 4500	39780 39780	68220 68220	117000 117000
34	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2250 2250	0 0	2250 2250	19890 19890	34110 34110	58500 58500
35	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12530 12530	85656 85656	11920 11920	23620 23620	187774 187774	321500 321500
36	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	0 0	1250 1250	11050 11050	18950 18950	32500 32500
	योग	वर्तमान प्रगामी	172505 172505	482226 482226	159695 159695	1011461 1011461	2569363 2569363	4395250 4395250

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तियालीस लाख पंचानवे हजार दो सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस लाख पंचानवे हजार दो सौ पचास

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या-09/2019/ 597/ सत्रह- म-2019-6-9(127)/17

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक:17 मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-116/नि0शा0/2019-20 दिनांक 08 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना, 02- मजदूरी, 09 -विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत धनराशि रू0 रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिकानुसार 36 जनपदों हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

जा उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक- ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/ उपलब्ध कराया जाय।

(3) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(8) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्ममान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(9) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम- 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण- 02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दिये गये उक्त निर्देशों /शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 09/2019 / 597(1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-09/2019 /597/सत्रह-म-2019-6-9(127)/ 2017, दिनांक:17 मई, 2019 का

संलग्नक

(वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 36 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य (लाखमें)	02- मजदूरी	09- विद्युत देय	39- औषधि	42- अन्य व्यय	43- सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लडामदा	-	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	-	625	0	625	5525	9475	16250
3	आजमगढ	अजमतगढ	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
4	मऊ	हाजीपुर	-	750	5130	750	1500	11370	19500
5	बलिया	निधारिया एवं अवांय	-	6750	46170	6750	13500	102330	175500
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	-	11250	25000	11250	74450	170550	292500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	-	3750	14000	3750	19150	56850	97500
8	प्रतापगढ	बेलहा	-	8750	25000	8750	52350	132650	227500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	-	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुन्दू	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
12	कुशीनगर	गंगेलवा	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
14	संतकबीरनगर	तामां	-	4250	12000	4250	25570	64430	110500
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	-	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बॉदा	नहरी	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	-	2250	0	2250	19890	34110	58500
18	झांसी	गुरसराय	-	8400	0	5350	66814	116436	197000
19	जालौन	आटा	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
20	ललितपुर	माताटीला	-	6250	0	6250	55250	94750	162500
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	-	8200	0	6675	68767	118858	202500
22	बाराबंकी	बंकी	-	7500	0	7500	66300	113700	195000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	गोण्डा	पुरेतिवारी	-	13900	23000	10850	92434	199816	340000
24	बरेली	लांबाखेडा	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहॉपुर	बलेली	-	8150	17500	5100	47104	112646	190500
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
27	बागपत	सरूरपुर	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
28	लखनऊ	भैंसामऊ	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
29	उन्नाव	नवाबगंज	-	6250	15000	6250	40250	94750	162500
30	सीतापुर	सुरैचा	-	4250	0	4250	37570	64430	110500
31	हरदोई	सण्डीला	-	6200	38070	4675	13017	88538	150500
32	लखीमपुर खीरी	घरथनियां	-	5500	24000	5500	24620	83380	143000
33	जौनपुर	गूजरताल	-	8750	59850	8750	17500	132650	227500
34	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	-	10000	32000	10000	56400	151600	260000
35	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	-	12530	85656	11920	23620	187774	321500
36	सहारनपुर	रामपुर मनिहारन	-	1500	10260	1500	3000	22740	39000
	योग -		-	**172505**	**482226**	**159695**	**1011461**	**2569363**	**4395250**

(रू0 तैतालीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पचास मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः– 116 / नि0शा0 / 2019–20 दिनांकः– 08/मई, 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष्य रू0 4395250/– (रू0 तैतालिस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा रू0 5000000/ का बजट प्रावधान लेखा शीर्षक अनुदान संख्या–17, 2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 04– मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण में स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष जनपदों की मांग के अनुसार मदवार रू0 4395250/– (रू0 तैतालिस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गमन का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है –

इकाई रू0 में

मानक मद	कुल बजट प्रावधान	निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति हेत प्रस्तावित धनराशि			अवशेष बजट धनराशि
		विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु	कुल	
1	2	3	4	5	6
02– मजदूरी	174000	156125	16380	172505	1495
09– विद्युत देय	505000	457440	24786	482226	22774
39– औषधि तथा रसायन	200000	156125	3570	159695	40305
42–अन्य व्यय	1430000	922705	88756	1011461	418539
43– सामग्री एवं सम्पूर्ति	2691000	2366855	202508	2569363	121637
योग	**5000000**	**4059250**	**336000**	**4395250**	**604750**

वर्ष 2019–20 हेतु वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के 1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/ 2019 दिनांक 22–03–2019 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अंकित जनपदो को निदेशक मत्स्य के पदनाम से अवमुक्त करने की कृपा करें।

उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–17 के लेखाशीर्षक 2405–मछली पालन 101– अन्तर्देशीय मछली पालन 04– मत्स्य विकास कार्यक्रम 0408– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण 02– मजदूरी, 09– विद्युत देय, 39– औषधि तथा रसायन, 42–अन्य व्यय, 43– सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाली जायेगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
07/5/2019
(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0,लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाने वाली धनराशि का प्रस्ताव

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (धनराशि रू0 में)						
			लक्ष्य (लाख में)	02–मजदूरी	09–विद्युत	39–औषधि	42–अन्य व्यय	43–सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लड़ामदा	8.00	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.50	625	0	625	5525	9475	16250
3	आजमगढ़	अजमतगढ़	8.00	2000	13680	2000	4000	30320	52000
4	मऊ	हाजीपुर	3.00	750	5130	750	1500	11370	19500
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	27.00	6750	46170	6750	13500	102330	175500
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	11250	25000	11250	74450	170550	292500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	15.00	3750	14000	3750	19150	56850	97500
8	प्रतापगढ़	बेलहा	35.00	8750	25000	8750	52350	132650	227500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	5.00	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुन्दू	10.00	2500	0	2500	22100	37900	65000
12	कुशीनगर	गंगेलवा	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	6.00	1500	0	1500	13260	22740	39000
14	संतकबीरनगर	तामां	17.00	4250	12000	4250	25570	64430	110500
15	सिद्वार्थनगर	पंचमोहनी	18.00	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बांदा	नहरी	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	9.00	2250	0	2250	19890	34110	58500
18	झांसी	गुरसराय	18.00	4500	0	4500	39780	68220	117000
19	जालौन	आटा	8.00	2000	13680	2000	4000	30320	52000
20	ललितपुर	माताटीला	25.00	6250	0	6250	55250	94750	162500
21	सुलतानपुर	तौकलपुर	25.00	6250	0	6250	55250	94750	162500
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	7500	0	7500	66300	113700	195000
23	गोण्डा	पूरेतिवारी	40.00	10000	15000	10000	73400	151600	260000
24	बरेली	लांबाखेड़ा	6.00	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहांपुर	बलेली	17.00	4250	15000	4250	22570	64430	110500
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
27	बागपत	सरूरपुर	8.00	2000	13680	2000	4000	30320	52000
28	लखनऊ	भैसामऊ	10.00	2500	0	2500	22100	37900	65000
29	उन्नाव	नवाबगंज	25.00	6250	15000	6250	40250	94750	162500
30	सीतापुर	सुरैचा	17.00	4250	0	4250	37570	64430	110500
31	हरदोई	सण्डीला	17.00	4250	29070	4250	8500	64430	110500
32	लखीमपुर	घरथनियां	22.00	5500	24000	5500	24620	83380	143000
33	जौनपुर	गूजरताल	35.00	8750	59850	8750	17500	132650	227500
34	मिर्जापुर	बघौड़ा एवं समोग्रा	40.00	10000	32000	10000	56400	151600	260000
35	संतरविदासनगर	विक्रमपुर	47.00	11750	80370	11750	23500	178130	305500
36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	6.00	1500	10260	1500	3000	22740	39000
	योग:–		**624.50**	**156125**	**457440**	**156125**	**922705**	**2366855**	**4059250**

क0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (धनराशि रू0 में)						
			लक्ष्य (लाख में)	02–मजदूरी	09–विद्युत	39–औषधि	42–अन्य व्यय	43–सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लड़ामदा	0.00	0	0	0	0	0	0
2	मैनपुरी	चौराईपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
3	आजमगढ़	अजमतगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0
4	मऊ	हाजीपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	0.00	0	0	0	0	0	0
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	0.00	0	0	0	0	0	0
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	0.00	0	0	0	0	0	0
8	प्रतापगढ़	बेलहा	0.00	0	0	0	0	0	0
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	0.00	0	0	0	0	0	0
11	देवरिया	खुखुन्दू	0.00	0	0	0	0	0	0
12	कुशीनगर	गंगेलवा	0.00	0	0	0	0	0	0
13	बस्ती	शंकरपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
14	संतकबीरनगर	तामां	0.00	0	0	0	0	0	0
15	सिद्वार्थनगर	पंचमोहनी	0.00	0	0	0	0	0	0
16	बांदा	नहरी	0.00	0	0	0	0	0	0
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	0.00	0	0	0	0	0	0
18	झांसी	गुरसराय	1.00	3900	0	850	27034	48216	80000
19	जालौन	आटा	0.00	0	0	0	0	0	0
20	ललितपुर	माताटीला	0.00	0	0	0	0	0	0
21	सुलतानपुर	तौकलपुर	0.50	1950	0	425	13517	24108	40000
22	बाराबंकी	बंकी	0.00	0	0	0	0	0	0
23	गोण्डा	पूरेतिवारी	1.00	3900	8000	850	19034	48216	80000
24	बरेली	लांबाखेड़ा	0.00	0	0	0	0	0	0
25	शाहजहांपुर	बलेली	1.00	3900	2500	850	24534	48216	80000
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	0.00	0	0	0	0	0	0
27	बागपत	सरूरपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
28	लखनऊ	भैसामऊ	0.00	0	0	0	0	0	0
29	उन्नाव	नवाबगंज	0.00	0	0	0	0	0	0
30	सीतापुर	सुरैचा	0.00	0	0	0	0	0	0
31	हरदोई	सण्डीला	0.50	1950	9000	425	4517	24108	40000
32	लखीमपुर	घरथनियां	0.00	0	0	0	0	0	0
33	जौनपुर	गूजरताल	0.00	0	0	0	0	0	0
34	मिर्जापुर	बघौड़ा एवं समोग्रा	0.00	0	0	0	0	0	0
35	संतरविदासनगर	विकमपुर	0.20	780	5286	170	120	9644	16000
36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	0.00	0	0	0	0	0	0
	योग:–		**4.20**	**16380**	**24786**	**3570**	**88756**	**202508**	**336000**

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	कुल (धनराशि रू0 में)						
			लक्ष्य (लाख में)	02—मजदूरी	09—विद्युत	39—औषधि	42—अन्य व्यय	43—सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लड़ामदा	-	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	-	625	0	625	5525	9475	16250
3	आजमगढ़	अजमतगढ़	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
4	मऊ	हाजीपुर	-	750	5130	750	1500	11370	19500
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	-	6750	46170	6750	13500	102330	175500
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	-	11250	25000	11250	74450	170550	292500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	-	3750	14000	3750	19150	56850	97500
8	प्रतापगढ़	बेलहा	-	8750	25000	8750	52350	132650	227500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	-	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुन्दू	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
12	कुशीनगर	गंगेलवा	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
14	संतकबीरनगर	तामां	-	4250	12000	4250	25570	64430	110500
15	सिद्वार्थनगर	पंचमोहनी	-	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बांदा	नहरी	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	-	2250	0	2250	19890	34110	58500
18	झांसी	गुरसराय	-	8400	0	5350	66814	116436	197000
19	जालौन	आटा	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
20	ललितपुर	माताटीला	-	6250	0	6250	55250	94750	162500
21	सुलतानपुर	तौकलपुर	-	8200	0	6675	68767	118858	202500
22	बाराबंकी	बंकी	-	7500	0	7500	66300	113700	195000
23	गोण्डा	पूरेतिवारी	-	13900	23000	10850	92434	199816	340000
24	बरेली	लांबाखेड़ा	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहांपुर	बलेली	-	8150	17500	5100	47104	112646	190500
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
27	बागपत	सरूरपुर	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
28	लखनऊ	भैसामऊ	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
29	उन्नाव	नवाबगंज	-	6250	15000	6250	40250	94750	162500
30	सीतापुर	सुरैचा	-	4250	0	4250	37570	64430	110500
31	हरदोई	सण्डीला	-	6200	38070	4675	13017	88538	150500
32	लखीमपुर	घरथनियां	-	5500	24000	5500	24620	83380	143000
33	जौनपुर	गूजरताल	-	8750	59850	8750	17500	132650	227500
34	मिर्जापुर	बघौड़ा एवं समोग्रा	-	10000	32000	10000	56400	151600	260000
35	संतरविदासनगर	विक्रमपुर	-	12530	85656	11920	23620	187774	321500
36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	-	1500	10260	1500	3000	22740	39000
		योगः—	-	**172505**	**482226**	**159695**	**1011461**	**2569363**	**4395250**

(रू0 तैतालिस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पचास मात्र)

07/5/2019

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0,लखनऊ।